कार्यालय–वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रांक– 1032 /33–1, दिनांक गोण्डा, सितम्बर 22 /2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28 सी के कि0मी0 92.547 से कि0मी0 99.000 तक बहराइच बाईपास के पुनरूद्धार एवं उच्चीकरण कार्य हेतु प्रभावित 0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृत के कम में प्रेषित अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

संदर्भः– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रॉक–पी–35/14–2–2018–800(33)/2018, दिनॉक 21.03.2018 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच का पत्रॉक–1442/2–6, दिनॉक 17.09.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण के कम में सादर अवगत कराना है कि बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28 सी के कि0मी0 92.547 से कि0मी0 99.000 तक बहराइच बाईपास के पुनरूद्धार एवं उच्चीकरण कार्य हेतु प्रभावित 0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृत के कम में प्रेषित अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या–FU/UP/Road/29617/2017 से सम्बन्धित है, जिसमें उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–पी–35/14–2–2018–800(33)/2018, दिनॉक 21.03.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत है जिसकी अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच ने अपने कार्यालय पत्रॉक–1442/2–6, दिनॉक 17.09.2021 द्वारा चार प्रतियों में संलग्नकर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसे 03 प्रतियों में संलग्नकर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
22/9/21
(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रॉक– /अ उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच को उनके संदर्भित पत्र–1442/2–6, दिनॉक 17.09.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

D:\office 07-07-2018\OFFICE 02-05-2018\court case\VFC Genral forwding .docx ram lal

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।
पत्रांक 1452 /2–6, दिनांक, बहराइच, सितम्बर, 17 /2021.

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
उ0प्र0, गोण्डा।

विषयः– **बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28 सी के कि0मी0 92.547 से कि0मी0 99.000 तक बहराइच बाईपास के पुनरुद्धार एवं उच्चीकरण कार्य हेतु प्रभावित 0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृत के क्रम में प्रेषित अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–पी–35/14–2–2018–800(33)/2018, दिनांक 21–03–2018 एवं आपका पत्रांक–3132/33–1, दिनांक 30–06–2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि आप द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृत के परिपेक्ष्य में प्रेषित की गयी अनुपालन आख्या में बिन्दु संख्या–01 व 02 की कमियॉ लगायी गयी थी, जिसके क्रम में अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–1058/NH-28C/2021 दिनांक 17–08–2021 द्वारा कमियों का निराकरण करते हुए संशोधित अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। बिन्दु संख्या–01 व 02 की बिन्दुवार कमियों का निस्तारण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	आपत्तियां	निस्तारण
1	भारत सरकार की शर्त सं0 1 की अनुपालन के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गयी अनुपालन आख्या में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि का उल्लेख नही किया गया है।	अनुपालन आख्या में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि का उल्लेख कर दिया गया है।
2	वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव की कमियों का निराकरण कर संशोधित अनुपालन आख्या मय वचनबद्धता की 04 प्रतियॉ मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

V. Fc

भवदीय

(मनीष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

पत्रांक.....................अ/दिनांकित ।

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

20/9/21

(मनीष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

Nigam/NH-28CLetter-125

Scanned with CamScanner

जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में (आनलाइन प्रस्ताव सं0–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/29617/2017)

संन्दर्भ:–विशेष सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2, लखनऊ के पत्रांक–पी–35/14–2–2018–800(33)/2018, दिनांक– 21.03.2018

Condition No.	Conditions	Status of Compliance of User Agency	Concern Of DFO
1	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंर्तगत आई0ए0 सं0 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी), क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंर्तगत आई0ए0 सं0 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) हेतु रु0 4,52,285.00 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 3,77,340.00 की धनराशि प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में UTR No.P18042326622906,dated23.04.2018 द्वारा कुल रु0 8,29,625.00 की धनराशि जमा करा दी गई है।	Agreed
2	प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी जाती है कि विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा।	Agreed
3	प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्ताव के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा।	Agreed
4	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई–पोर्टल पर ई–चालन के माध्यम से कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई–पोर्टल पर ई–चालन के माध्यम से कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।	Agreed
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इनके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा	लागू नही है।	Agreed
6	वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	Agreed
7	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुममि की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेगें।	लागू नही है।	Agreed
8	प्रस्तावक विभाग, परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा(वनस्पति)/फोना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फोना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगें।	वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग, परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फोना(वन्य जीव)के हानि हेतु जिम्मेदार होगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फोना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगें।	Agreed

Scanned with CamScanner

	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।	Agreed
10	प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	Agreed
11	उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रष्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक के उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रष्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक के उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	Agreed
12	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2017 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक02दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हो तो (if Applicable) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	लागू नही है।	Agreed
13	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन किया जायेगा।	Agreed
14	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।	वचनबद्धतादी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।	Agreed
15	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण को जमा करना होगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी जाती है यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि को जमा किया जायेगा।	Agreed

Scanned with CamScanner

16	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	लागू नही है।	Agreed
17	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	लागू नही है।	Agreed
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्रेन्द्र सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाएगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्रेन्द्र सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।	Agreed
19	इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।	Agreed
20	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	Agreed
21	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार, अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	Agreed
22	भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98- एफसी, दिनांक 13.02.2014 के शर्त संख्या (xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक13.02.2014 के शर्त संख्या (xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।	Agreed
23	प्रस्तावक विभाग के कार्य आरम्भ करने से पूर्व भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	लागू नहीं है।	Agreed
24	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निर्देशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।	Agreed

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

Scanned with CamScanner

जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में (आनलाइन प्रस्ताव सं0—एफ0पी0/यू0पी0/रोड/29617/2017)

संन्दर्भः– विषेष सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2, लखनऊ के पत्रांक–पी–35/14–2–2018–800(33)/2018, दिनांक– 21.03.2018

Condition No.	Conditions	Status of Compliance of User Agency
1	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अंर्तगत आई0ए0 सं0 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंर्तगत आई0ए0 सं0 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) हेतु रु0 4,52,285.00 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 3,77,340.00 की धनराशि प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में UTR No.P18042326622906,dated23.04.2018 द्वारा कुल रु0 8,29,625.00 की धनराशि जमा करा दी गई है।
2	प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर क्षमिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी जाती है कि विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर क्षमिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा।
3	प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्ताव के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा।
4	उपरोक्त अनुदेषों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई–पोर्टल पर ई–चालन के माध्यम से कॉरपोरेषन बैंक (भारत सरकार उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त अनुदेषों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई–पोर्टल पर ई–चालन के माध्यम से कॉरपोरेषन बैंक (भारत सरकार उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इनके लिए धनराषि उपलब्ध करायेगा	लागू नही है।
6	वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
7	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुममि की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेगें।	लागू नही है।

Scanned with CamScanner

8	प्रस्तावक विभाग, परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा(वनस्पति)/फोना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फोना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगें।	वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग, परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा(वनस्पति)/फोना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फोना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगें।
9	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवष्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
10	प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
11	उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रष्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक के उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक के उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2017एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02, दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिष्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हो तो (if Applicable) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	लागू नही है।
13	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो , जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवष्यक हों, का अनुपालन किया जायेगा।
14	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार,	वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा जारी

Scanned with CamScanner

	अनुश्रवण के अधीन होंगी।	क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।
15	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संषोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराषि प्रयोक्त अभिकरण को जमा करना होगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी जाती है यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संषोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराषि को जमा किया जायेगा।
16	यदि प्रष्नगत भूमि सेन्चुरी/नेषनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	लागू नही है।
17	समस्त वैधानिक/प्रषासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	लागू नही है।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्रेन्द्र सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देषों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाएगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्रेन्द्र सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देषों का अनुपालन किया जाएगा।
19	इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिषा-निर्देष दिनांक 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिषा-निर्देष दिनांक 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
20	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिषा-निर्देषों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विषेष डाटा (shp) फाइल में दर्षाया गया है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार, अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
22	भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13.02.2014 के शर्त संख्या (xiii) के अनुसार प्रष्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।	वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13.02.2014 के शर्त संख्या (xiii) के अनुसार प्रष्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।
23	प्रस्तावक विभाग के कार्य आरम्भ करने से पूर्व भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	लागू नहीं है।
24	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निर्देषक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए। तद्पोरान्त सुसंगत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वनप्रभाग, बहराइच द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग लो०नि०वि०
लखनऊ

Scanned with CamScanner

शर्त सं0 1 व 4

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग (आनलाइन प्रस्ताव सं0––एफ0पी0/यू0पी0/रोड/29617/2017) में वचनबद्ध है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं क्षतिपूरक वृक्षोरोपण की धनराषि रु0 8,29,625.00 ई–चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गई है एवं इसका चालान संलग्न किया जाता है।

क्रम सं0	विवरण	धनराषि	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू0टी0आर0 नं0
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अंर्तगत आई0ए0 सं0 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	3,77,340.00	एन0ई0एफ0टी0	23.04.2018	P18042326622906
2	उपरोक्त अनुदेषों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई–पोर्टल पर ई–चालन के माध्यम से कॉरपोरेषन बैंक (भारत सरकार उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।	4,52,285.00			
	योग	8,29,625.00			

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
सं0खं0 मर्गत लो0नि0वि0,
लखनऊ

Scanned with CamScanner

2	FP/UP/ROAD/33770/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/33770/2018) Proposed forest Land to be Diverted for 2-Lane with paved shoulder of Balrampur to Tulsipur Road NH-730 from CH. No. 323.745 Km to 338.00 in Gonda Forset Division and From 338.00 to 351.00 Km in Sohelwa Forest Division,District: Balrampur	ROAD337702018647	6133770647	05 Oct 2018	CA: 7063300/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 10922406/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 17985706/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Nov 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 02 Nov 2018 Transaction Date : 20 Nov 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/10113012191216FJAD4Demandletter11.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD337702018647)
3	FP/UP/ROAD/29617/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/29617/2017) Forest Land Proposed to be diverted for Construction of two-Lane with paved shoulders Bahraich Bypass from KM.92.547 to 99.0 of NH-28C in the state of Uttar Pradesh	ROAD296172017024	6129617024	21 Mar 2018	CA: 377340/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 452285/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 829625/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 20 Apr 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 20 Apr 2018 Transaction Date : 23 Apr 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/4112012461211V91SODemandLetterNh.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD296172017024)
4	FP/UP/ROAD/18934/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/18934/2016) Rehabilitation and upgradation of NH-730 from Km 248.400 to Km 310.000 in Bahraich and Shravasti District in the state of Uttar Pradesh to 2-Lanes with paved shoulders.	ROAD189342016554	6118934554	23 Nov 2017	CA: 6140582/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 16117816/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 22258398/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 07 Mar 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 07 Mar 2018 Transaction Date : 26 Mar 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/31171241218IOYTCDemandLetterbahraich1.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD189342016554)

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग लो०नि०वि०
लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

Scanned with CamScanner

Ministry :	024 - ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS	Grant:	- All -
PAO:	035036 - RPAO(NH), Lucknow	DDO:	235040 - S.E, RW
Period.	12-03-2018 till 24-03-2018	Figures In:	Actuals
External Source:	-All-		

Sr. No.	Sanction No.	Bill No.	Sanction Amount	Beneficiary Account No.	Beneficiary Amount	Beneficiary Name	IFSC Code	DSC Date & Time Stamp	Scroll Date	UTR No. (Bank Transaction Id)
125	35	CP00000122	829625	150906129617024	829,625.00	CAMPA UTTAR PRADESH	CORP0000371	23-04-2018 13:27:10	23-04-2018	P18042326622906

C/S

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग लो०नि०वि०
लखनऊ

Scanned with CamScanner

जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(आनलाइन प्रस्ताव सं0––एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

• जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(आनलाइन प्रस्ताव सं0––एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्ताव के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग लो०नि०वि०
लखनऊ

Scanned with CamScanner

- **जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

(आनलाइन प्रस्ताव सं0——एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त अनुदेषों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई–पोर्टल पर ई–चालन के माध्यम से कॉरपोरेषन बैंक (भारत सरकार उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

● **जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

(आनलाइन प्रस्ताव सं0––एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग लो0नि0वि0
लखनऊ

Scanned with CamScanner

जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(आनलाइन प्रस्ताव सं0––एफ0पी0/यू0पी0/रोड/29617/2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग, परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा(वनस्पिति)/फाना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0—28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(आनलाइन प्रस्ताव सं0——एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवष्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

• जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0—28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(आनलाइन प्रस्ताव सं0——एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(आनलाइन प्रस्ताव सं0––एफ0पी0/यू0पी0/रोड/29617/2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रष्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवष्यकता रहे। यदि प्रस्तावक के उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवष्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवष्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग लो0नि0वि0
लखनऊ

Scanned with CamScanner

- **जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

(आनलाइन प्रस्ताव सं0––एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देषों / षर्तों , जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवष्यक हों, का अनुपालन किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग लो0नि0वि0
लखनऊ

Scanned with CamScanner

- **जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0—28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

(आनलाइन प्रस्ताव सं0——एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग लो०नि०वि०
लखनऊ

Scanned with CamScanner

जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(आनलाइन प्रस्ताव सं0——एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी जाती है यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संषोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराषि को जमा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

- **जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

(आनलाइन प्रस्ताव सं0––एफ0पी0/यू0पी0/रोड/29617/2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्रेन्द्र सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देषों का अनुपालन किया जाएगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग लो०नि०वि०
लखनऊ

Scanned with CamScanner

- जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(आनलाइन प्रस्ताव सं0––एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिषा–निर्देष दिनांक 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

जनपद बहराइच में रा0मा0 सं0–28सी (बहराइच बाईपास) के मध्य बहराइच वन प्रभाग बहराइच में कि0मी0 92.547 से 99.000 तक (0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(आनलाइन प्रस्ताव सं0––एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 29617 / 2017)

वचनबद्धता

वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के परिपत्र संख्या–11–98–एफसी, दिनांक 13.02.2014 के शर्त संख्या (xiii) के अनुसार प्रष्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार / सुदृढीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों की स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28 सी के कि0मी0 92.547 से कि0मी0 99.000 तक बहराइच बाईपास के पुनरुद्धार एवं उच्चीकरण कार्य हेतु प्रभावित 0.7225 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के क्रम में दिनांक 11–11–2020 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, बहराइच द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत कोई उल्लघंन नही किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम–1980 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शत्प्रतिशत अनुपालन कराया जायेगा।

(मनीष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

Scanned with CamScanner